

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:-राजपत्रित/डीपीसी/एसीआर/2018/ 397

दिनांक 12-6-18

परिपत्र

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2018 को आयोजित मीटिंग में दिये गये निर्देशानुसार विभाग में कार्यरत समस्त चिकित्सकों के वर्ष 2017-18 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन ही भरे जायेंगे तथा ऑफलाईन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। अतः निदेशालय में कार्यरत समस्त चिकित्सक अपने वर्ष 2017-18 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन भरवाने हेतु अविलम्ब राजपत्रित डीपीसी अनुभाग कमरा नम्बर 27 में सम्पर्क कर ऑनलाईन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरवाना सुनिश्चित करें। यदि किसी चिकित्सक द्वारा वर्ष 2017-18 का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑफलाईन भरकर प्रस्तुत कर दिया गया है, तो वे भी ऑनलाईन भरवाने हेतु उपस्थित हो।

80  
अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-राजपत्रित/डीपीसी/एसीआर/2018/ 397  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक 12-6-18

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
3. प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक (आर.सी.एच./एड्स), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
8. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/ग्रा.स्वा./चि.प्र./आर.सी.एच.), मुख्यालय।
9. निदेशालय में कार्यरत समस्त चिकित्सकों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्ष 2017-18 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन भरवाने हेतु अविलम्ब राजपत्रित डीपीसी अनुभाग कमरा नम्बर 27 में सम्पर्क करें।

10. प्रभारी, सर्वरी रूम, मुख्यालय को विभागीय की वेबसाईट पर अपलोड करें।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर